भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3319

जिसका उत्तर शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 को दिया जाना है

**उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रिक्त पदों को भरा जाना**

**3319. श्री सी॰ पी॰ नारायणन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और उच्चतम न्यायालय के बीच उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में कोई सहमति बनी है ;

(ख) वर्तमान में उनमें रिक्त पदों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन रिक्त पदों में से कितने पदों को शीघ्र भरा जाएगा; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में पदों के रिक्त होने के साथ-साथ उन्हें भरे जाने के संबंध में कोई सहमति बनी है या निर्णय लिया गया है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों की नियुक्‍ति सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकार्ड एसोसियशन बनाम भारत संघ (1993) 4एससीसी 441 में 6 अक्‍तूबर, 1993 को दिए गए उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्णय के साथ पठित विशेष संदर्भ संख्‍या 1 (1998) 7एसएससी 739 में 28 अक्‍तूबर, 1998 को उसकी सलाहकारी राय के अनुसरण में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) के अनुसार की जाती है ।

उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों की रिक्‍तियों का भरा जाना एक सतत् सहयोगकारी और एकीकृत प्रक्रिया है जो कार्यपालिका और न्‍यायपालिका दोनों को अंतर्वलित करती हैं । यह विभिन्‍न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित करती है इसलिए इन रिक्‍तियों को भरे जाने के लिए समयसीमा उपदर्शित नहीं की जा सकती है ।

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्‍च न्‍यायालयों के मुख्‍य न्‍यायमूर्ति, उच्‍च न्‍यायालयों में न्‍यायाधीशों की नियुक्‍ति के लिए प्रस्‍ताव रिक्‍ति के उत्‍पन्‍न होने की तारीख से कम से कम छह मास पहले आरंभ कर सकते हैं ।

उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में तारीख 1 मार्च, 2018 तक अनुमोदित पद संख्‍या, कार्यरत पद संख्‍या और रिक्‍तियां दर्शाने वाला विवरण उपाबद्ध पर दिया गया है । कार्यपालिका और न्‍यायपालिका के मध्‍य साझा सहमति के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्‍चतम न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालयों में भरी गई न्‍यायधीशों की रिक्‍तियां नीचे दी गई हैं:-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| वर्ष | उच्‍चतम न्‍यायालय | उच्‍च न्‍यायालय |
| 2016 | 4 | 126 |
| 2017 | 5 | 115 |
| 2018 (16.03.2018 तक) | - | 11 |

**उपाबंध**

**राज्य सभा** **अतारांकित** **प्रश्न संख्या 3319 जिसका उत्तर 23.03.2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(01.03.2018 तक)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **न्यायालय का नाम** | **स्वीकृत पद** | **कार्यरत पद** | **स्वीकृत पदों के अनुसार रिक्तियां** |
| **क** | **भारत का उच्चतम न्यायालय** | **31** | **24** | **07** |
| **ख** | **उच्च न्यायालय** |  |  |  |
| 1 | इलाहाबाद | 160 | 103 | 57 |
| 2 | तेलंगाना और आंध्र प्रदेश | 61 | 30 | 31 |
| 3 | बंबई | 94 | 70 | 24 |
| 4 | कलकत्ता | 72 | 30 | 42 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22 | 12 | 10 |
| 6 | दिल्ली | 60 | 38 | 22 |
| 7 | गुवाहाटी | 24 | 18 | 06 |
| 8 | गुजरात | 52 | 30 | 22 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 13 | 08 | 05 |
| 10 | जम्मू - कश्मीर | 17 | 1 1 | 06 |
| 1 1 | झारखंड | 25 | 17 | 08 |
| 12 | कर्नाटक | 62 | 30 | 32 |
| 13 | केरल | 47 | 37 | 10 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 53 | 33 | 20 |
| 15 | मद्रास | 75 | 58 | 17 |
| 16 | मणिपुर | 05 | 02 | 03 |
| 17 | मेघालय | 04 | 02 | 02 |
| 18 | ओडिशा | 27 | 16 | 1 1 |
| 19 | पटना | 53 | 32 | 21 |
| 20 | पंजाब और हरियाणा | 85 | 50 | 35 |
| 21 | राजस्थान | 50 | 33 | 17 |
| 22 | सिक्किम | 03 | 03 | 0 |
| 23 | त्रिपुरा | 04 | 02 | 02 |
| 24 | उत्तराखंड | 1 1 | 08 | 03 |
| **कुल** | | **1079** | **673** | **406** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*